न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 170/2024(जी.सी.एम.एस.2024/)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. लालचन्द पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई निवासी 3 एफ बी शेखसरपाल तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:-30.08.2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

--निर्णय-- दिनांक : 30.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 3 एफ बी. पटवार हल्का शेखसरपाल. भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में प्रार्थी का नाम लालूराम पुत्र मनीराम दर्ज है। जबकि सही नाम लालचन्द पुत्र मनीराम है। जिसे प्रार्थी चालू जमाबन्दी में सही करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में अंकित नाम लालूराम के स्थान पर लालचन्द दुरूस्त करने की कृपा करे।
2. प्रार्थना पत्र के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 875 दिनांक 20.03.2024 से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 88 में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 3 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में क्रम संख्या 3 पर लालू राम पुत्र मनीराम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी का सही नाम लालचन्द पुत्र मनीराम है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 70/70 की प्रति, राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 21/21 की प्रति, राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 71/87 की प्रति, शपथ पत्र लक्ष्मण, वदेप्रकाश, लालचन्द के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम लालूराम पुत्र मनीराम के स्थान पर लालचन्द पुत्र मनीराम दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ. नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 70/70 की प्रति, राजस्व ग्राम 12 एफ ए, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 21/21 की प्रति में नाम लालचन्द पुत्र मनीराम अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 3 एफ बी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में क्रम संख्या 3 पर लालू राम पुत्र मनीराम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी का सही नाम लालचन्द पुत्र मनीराम है। अतः वाद वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, शपथ पत्र वादी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम लालूराम पुत्र मनीराम के स्थान पर लालुराम उर्फ लालचन्द पुत्र मनीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

लालचन्द बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए
मुकदमा नम्बर 170/2024

निर्णय दिनांक :- 30.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी स्वंय उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 3 एफ बी, पटवार हल्का शेखसरपाल, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 71/71 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम लालूराम पुत्र मनीराम के स्थान पर लालुराम उर्फ लालचन्द पुत्र मनीराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

दिनांक: 30.08.2024

क्रमांकः रीडर/2024/485

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर